FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0097 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 22/04/2025 17:04 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 08/02/2025 **Date To (दिनांक तक):** 09/02/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 17:30 बजे **Time To (समय तक):** 13:35 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 22/04/2025 **Time (समय):** 14:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 22/04/2025 17:04:20 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 180 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** CHHBARA THARMAL POWER PLANT, MOTIPURA JILA BARAN

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SUKHA SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SURJEET SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1975 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	6 B, DHANOOR, KARANPUR, KESHRI SINGHPUR, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	6 B, DHANOOR, KARANPUR, KESHRI SINGHPUR, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PARGAT SINGH		पिता:AJMER SINGH	1. V.P.O. WARD NO.08,,01 D CHHOTI, SADHUWALI,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
2	JAGDISH SINGH		पिता:GURBCHCHN SINGH	1. V.P.O. HAKMABAD,SADUL SHAHAR,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	अन्य	विविध		

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 08.02.2025 को समय 05.30 पीएम पर मोबाईल नम्बर [redacted] से श्री मुकुल शर्मा अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट कोटा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल आया व बताया कि मैं सुखासिंह बेल्ट नम्बर 391 बोर्डर हॉमगार्ड डी कंपनी फुसेवाला बोल रहा हूं। मेरी ड्यूटी अभी छबडा थर्मल पावर प्लान्ट मोतीपुरा जिला बारां में लगी हुई है। छबड़ा पावर प्लान्ट पर हमारे साथी प्रगट पाल सिंह व जगदीश ड्राईवर भी लगे हुए है। उक्त दोनों हमारी ड्यूटी लगातार पावर प्लान्ट पर रखवाने के लिए कमाण्डेन्ट महेन्द्र सिंह के लिए मेरे से 4000 रूपये की रिश्वत मांग रहे है, यदि मैंने कमाण्डेन्ट के लिए इन दोनों को 4000 रूपये नहीं दिये तो मेरी यहां से ड्यूटी हटा दी जायेगी तथा इन लोगों ने करीब 30 जवानों को यहां ड्यूटी पर होते हुए भी पैसे लेकर घर भेज रखा है उनकी ड्यूटी भी हमारे से करवाते है। मैं प्रगट सिंह व जगदीश ड्राईवर को पैसे नहीं देना चाहता। इस पर श्री सुखासिंह को चौकी हाजा पर आकर रिपोर्ट पेश करने हेतु कहा गया तो बताया कि मेरी ड्यूटी सुबह 10 बजे करीब ऑफ होती है तथा वापस 4 बजे ड्यूटी पर जाना होता है इतनी कम अवधि मैं कोटा नहीं आ सकता। आप ही कल किसी अधिकारी को सुबह 11-12 बजे यहां भिजवा देवें। चूंकि मोबाईल पर प्राप्त सूचना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधी में आती है। अतःमन अनिता वर्मा पुनि को छबडा पहुंचकर आगामी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 09.02.2025 समय 08.45 एएम पर श्री महेन्द्र सिंह कानि. चालक 507 मय जीप सरकारी नम्बर आरजे 14 यूई 0812 के भ्रनिब्यूरो इन्टेलीजेन्स कोटा से तलविदा उपस्थित आये जिसकी आमद दर्ज की गई। दिनांक 09.02.2025 समय 09.15 एएम पर मन अनिता वर्मा पुनि मय श्री किशनलाल उनि, श्री लालचन्द कानि. 30 मय जीप नम्बर आरजे 14 यूई 0812 मय श्री महेन्द्र सिंह कानि चालक 507 के छबडा थर्मल पावर प्लान्ट मोतीपुरा बारां हेतु रवाना हुई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर व नया मेमौरी कार्ड हमराह लिया गया। समय 11.30 एएम पर परिवादी श्री सुखासिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] पर श्री लालचन्द कानि से परिवादी की मौजूदगी जानने हेतु कॉल करवाया गया तो परिवादी ने बताया कि मैं मोतीपुरा में ही रोड़ पर खड़ा हूं। आप आस-पास आकर पुनः कॉल कर लेवें। समय 12.05 पीएम पर परिवादी श्री सुखासिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] पर श्री लालचन्द कानि से कॉल करवाया गया तो परिवादी ने बताया कि मैं मोतीपुरा में बांके बिहारी रेस्टोरेन्ट के सामने खड़ा हूं। मैंने हल्के हरे रंग की पगडी सिर पर बांध रखी है। मेरे सामने रोड़ से दूसरी तरफ दो लोडर खडे है, आप इनके पास ही आ जाओ। मैं आपको रोड़ पर मिलूंगा। समय 12.20 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता सरकारी वाहन जीप के परिवादी द्वारा इंगित स्थान बांके बिहारी रेस्टोरेन्ट मोतीपुरा के सामने पहुंची जहां पर परिवादी द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति खडा नजर आया जिसे देखकर जीप को रोका तो उक्त व्यक्ति जीप के पास आया व अपने आप को परिवादी सुखासिंह होना बताया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता जीप से उतर कर परिवादी से वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि यहां रोड़ पर बोर्डर होम गार्ड के जवान घूमते रहते हैं आप उक्त रेस्टोरेन्ट में पधारे। समय 12.25 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता मय परिवादी श्री सुखासिंह के बांके बिहारी रेस्टोरेन्ट के अन्दर पीछे की तरफ स्थित खाली हॉल में पहुंचे जिसमें टेबल व कुर्सियां लगी हुई है। परिवादी से वार्ता की तो परिवादी द्वारा एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को संबोधित इस आशय का पेश किया कि मैं सुखासिंह V.L.N. 391 बोडर होमगार्ड 4थीं बटालियन श्री गंगानगर में तैनात हूं तथा मैं करीब एक साल से छबडा थर्मल पावर प्लांट मोतीपुरा में अपनी कंपनी के साथ ड्यूटी कर रहा हूं। मोतीपुरा प्लांट पर करीब 174 जवानों की ड्यूटी लगा रखी है लेकिन हमारे कमाण्डेन्ट महेन्द्र सिंह की मिली भगत से हमारे साथी जवान प्रगट पाल सिंह ने 30 के करीब जवानों को यहां ड्यूटी पर होते हुए भी पैसे लेकर घर भेज रखा है। उनकी ड्यूटी भी हम शेष जवान ही करते है। हमारी डयूटी श्री गंगानगर से हर दो माह में बदली होकर दूसरी कंपनी भिजवाने के नियम है लेकिन जो जवान प्रगट पाल सिंह के कहे अनुसार 3 से 5 हजार रूपये दे देता है तो उसकी ड्यूटी लगातार यहीं पर लगातार कमाण्डेन्ट के द्वारा लगा दी जाती है जो पैसे नहीं देता उसकी ड्यूटी यहां से हटा दी जाती है। मेरा दो माह का समय दिनांक 26.02.25 को पूरा हो रहा है इसलिए मेरी ड्यूटी लगातार पावर प्लांट पर रखवाने के लिए प्रगटपाल सिंह उसके साथी जगदीश डराईवर के मार्फत पैसे मेरे से चार हजार रू मांग रहा है। मैं प्रगट पाल सिंह व जगदीश डराईवर को ड्यूटी लगावाने हेतु पैसे रिश्वत में नहीं देना चाहता। उनको रिश्वत लेते पकड़वाना चाहता हूं। मेरी उक्त दोनों से कोई आपसी

दुश्मनी नहीं है तथा दोनों से मेरा कोई उधारी का लेन देन भी बकाया नहीं है। उक्त दोनों बोडर होमगार्ड में हमारे साथ ही नौकरी करते है। रिपोर्ट कारवाई हेतु सेवा में पेश है। कार्यवाही पुलिस दिनांक 09.02.2025 समय 12.30 पीएम पर परिवादी श्री सुखासिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति मजहबी सिख उम्र 50 साल निवासी 6 बी धनुर तहसील करणपुर जिला श्री गंगानगर हाल बेन्ट नम्बर 391 बोर्डर होम गार्ड डी कंपनी फुसेवाला हाल केम्प छबडा थर्मल पावर प्लान्ट मोतीपुरा जिला बारां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को परिवादी को पढ़कर सुनाया व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के क्रम में परिवादी से दरयाप्त किया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य सही होना स्वीकार कर प्रार्थना पत्र अपने मिलने वाले साथी से लिखवाकर लाना बताया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य व परिवादी से किए गए दरयाप्त से मामला प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आता है। अतः रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जायेगा। दिनांक 09.02.2025 समय 01.00 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा हमराह लाये गये डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में सेनडिस्क कंपनी का 32 जीबी का मेमौरी कार्ड रखवाया गया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मेमौरी कार्ड मोड पर किया जाकर परिवादी को वॉयस रिकॉर्डर को चलाने व बन्द करने की विधि भली भांति समझाकर वॉयस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड सुपुर्द किया जाकर समझाईश की गई कि संबंधित व्यक्तियों से अपने पेण्डिंग कार्य व रिश्वत राशि के संबंध में स्पष्ट वार्ता करें तथा परिवादी की निगरानी हेतु श्री लाल चन्द कानि. 30 को हमराह रवाना किया जाकर हिदायत की गई कि छबडा थर्मल पावर प्लान्ट मोतीपुरा में पहुंचने से पूर्व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू करवायें तथा सत्यापन के दौरान यथासंभव परिवादी व आरोपीगण के बीच होने वाली वार्ता को देखें व सुने। फर्द सुपुर्दगी पृथक से मुर्तिब की गई। समय 01.35 पीएम पर श्री लाल चन्द कानि. 30 मय परिवादी श्री सुखासिंह मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के केम्प बांके बिहारी रेस्टोरेन्ट मोतीपुरा पर उपस्थित आये व परिवादी ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं श्री लाल चन्द जी को साथ लेकर छबडा थर्मल पावर प्लान्ट मोतीपुरा के मुख्य गेट पर पहुंचे जहां पर लाल चन्द जी ने मेरे से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू करवा दिया था। मैं पावर प्लान्ट के अन्दर प्रगटसिंह व जगदीश से रिश्वत मांग के संबंध में वार्ता करने गया तब तक लालचन्द जी गेट के बाहर ही रूक गये थे। मैं प्रगट सिंह व जगदीश के पास उनके ऑफिस में गया तो दोनों बैठे मिल गये जहां मैस इंचार्ज ने मैस के पैसे मांगे थे उसके बाद जगदीश ने मेरे से पांच हजार रूपये की मांग की तो मैंने कहा कि कल तो चार बोल रहे थे आज पांच कर दिए, मारोगे गरीब को, मैने कहीं बार बोला आज आ जायेंगे पैसे तो जगदीश ने कहा कि जितना लेट कर रहे हो हम नहीं छोडेंगे, सारे लेंगे। फिर प्रगट सिंह व जगदीश ने कहा कि यह टाईम पर पैसे नहीं देता, फिर जगदीश ने प्रगट पाल सिंह से कहा कि ये दवाई किस चीज की है जिस पर प्रगट पाल सिंह ने कहा कि वाय की है फिर मेरे से पूछा की तेरे साथ बाहर कौन था तो मैने कहा कि वह अक्का कंपनी वाला था। इस प्रकार प्रगट सिंह व जगदीश ने मेरे से ड्यूटी पर लगातार रखने की एवज में पांच हजार रूपये रिश्वत की मांग की है। मैं वहां से रवाना होकर श्री लाल चन्द जी के पास आया जिन्होंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बन्द करवाया था तथा मैंने यह बात लालचन्द जी को भी बाहर आकर बताई। पूछताछ पर कानि. द्वारा भी उक्त तथ्यों की ताईद की गई। फर्द प्राप्ति डिजिटल वॉयम रिकॉर्डर पृथक से मूर्तिब की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वॉईस रिकार्डर चालू कर सुना गया तो परिवादी श्री सुखासिंह की आवाज पंजाबी भाषा में है जो मन पुलिस निरीक्षक के पंजाबी भाषा का ज्ञान नहीं होने से पूर्ण रूप से समझ नहीं आ रही है। परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर आवाज में अंकित अंशो को सुना-सुना कर उनकी हिन्दी समझी गई तो परिवादी द्वारा बताया गये तथ्यों की पुष्टि हुई, फिर भी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को पंजाबी भाषा के जानकार व्यक्ति की मदद ली जाकर उससे रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को समझा जावेगा। समय 03.15 पीएम पर चूंकि परिवादी द्वारा बताये अनुसार डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता से आरोपीगण प्रगट सिंह व जगदीश द्वारा परिवादी से 5000 रूपये की रिश्वत मांग करना पाया गया है लेकिन परिवादी द्वारा 4000 रूपये में ही काम हो जाना अवगत कराया है। अतः परिवादी को दिनांक 10.02.2025 को समय करीब 11.30 एएम पर मोतीपुरा गोपनीय स्थान पर मिलने हेतु समझाईश कर परिवादी को रूकसत किया गया व मन पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता मय जीप के रवाना हुई तथा जरिये दूरभाष श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 को दो स्वतंत्र गवाह दिनांक 10.02.2025 को 8.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने बाबत पाबन्द करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 09.02.2025 समय 06.30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा हमराह जाप्ता से पंजाबी भाषा के जानकार व्यक्ति के संबंध में जानकारी की गई तो पता चला कि श्रीमती प्रदीप कौर हैड कानि. जो वर्तमान में भीमगंजमण्डी थाने पर पदस्थापित है। वह पंजाबी भाषा की जानकार है वह डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनवा सकती है। समय 06.41 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता के भ्रनिब्यूरो चौकी स्पेशल यूनिट कोटा पहुंची व पंजाबी भाषा की जानकार श्रीमती प्रदीप कौर हैडकानि थाना भीमगंजमण्डी कोटा शहर को इमदाद हेतु कार्यालय हाजा में भिजवाने हेतु थानाधिकारी को जरिये दूरभाष निवेदन कर लिखित तहरीर भिजवाई गई। दिनांक 09.02.2025 समय 07.25 पीएम श्रीमती प्रदीप कौर महिला हैडकानि नम्बर 323 थाना भीमगंजमण्डी कोटा शहर तलविदा उपस्थित कार्यालय आयी जिसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर उसमें रिकॉर्ड वार्ता को सुनाया गया तो श्रीमती प्रदीप कौर द्वारा रिकॉर्डर में पंजाबी भाषा में रिकॉर्ड वार्ता को सुनकर रिश्वत मांग के संबंध में परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों को दौहराया। समय 07.50 पीएम पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन व पंजाबी भाषा

की जानकार श्रीमती प्रदीप कौर से रिकॉर्ड वार्ता को सुनाने व समझाने से आरोपीगण द्वारा परिवादी श्री सुखासिंह से रिश्वत मांग किया जाना स्पष्ट है। अतः दिनांक 10.02.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जायेगा। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा गया। कार्यालय हाजा में पदस्थापित समस्त जाप्ता को 8.15 एएम पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 10.02.2025 समय 08.30 एएम पर स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश मीणा पुत्र श्री बाबूलाल मीणा उम्र 36 साल निवासी सिन्धी कॉलोनी लंका गेट बून्दी हाल नर्सिंग ऑफिसर जे.के. लोन कोटा मोबाईल नम्बर [redacted] व श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री रामेश्वर मीणा उम्र 42 साल निवासी ए 10 चित्रगुप्त कॉलोनी महावीर नगर कोटा हाल नर्सिंग ऑफिसर जे.के. लोन कोटा मोबाईल नम्बर [redacted] पूर्व के पाबन्दशुदा कार्यालय हाजा उपस्थित आये। आमद दर्ज की गई। गवाहान को होने वाली ट्रेप कार्यवाही के संबंध में अवगत कराकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया गया व कार्यवाही में गवाह रहने की सहमति चाही गई। इस पर दोनों गवाहान ने प्रार्थना पत्र पढ़कर गवाह रहने की स्वीकृति देते हुए प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए। समय 08.35 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता श्री किशन लाल उनि, श्री लालचन्द कानि 30, श्रीमती प्रदीप कौर महिला हैडकानि. 323 थाना भीमगंजमण्डी कोटा शहर, श्री राजेन्द्र कुमार कानि 279, श्री भूपेन्द्र सिंह कानि 292, श्रीमती सरोज हैडकानि 81, श्री करण सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय स्वंतत्र गवाहान दिनेश मीणा व कमलेश कुमार मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर व मेमौरी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व ट्रेप में काम आने वाली सामग्री के मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री घनश्याम कानि 609 के बजानिब छबडा थर्मल पावर प्लान्ट मोतीपुरा जिला बारां रवाना हुई। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पृथक से वाहन टवेरा के डेस्कबोर्ड में रखवाई गई। समय 11.11 एएम पर परिवादी श्री सुखासिंह की उपस्थिति जानने हेतु श्री लालचन्द कानि. से कॉल करवाया गया तो परिवादी ने मोतीपुरा से पहले आम रोड़ पर मौजूद होना बताया, इस पर परिवादी को आम रोड़ पर उपस्थित मिलने हेतु समझाईश की गई। दिनांक 10.02.2025 समय 11.58 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाप्ता व गवाहान मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर व मेमौरी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व ट्रेप में काम आने वाली सामग्री के मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री घनश्याम कानि 609 के ग्राम मोतीपुरा से करीब एक किलोमीटर पहले पहुंचे जहां परिवादी आम रोड़ पर खड़ा मिला जिसे हमराह लेकर आम रोड़ के नजदीक गोपनीय स्थान पर पहुंचे। समय 12.10 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान दिनेश मीणा व कमलेश कुमार के समक्ष व परिवादी श्री सुखासिंह की उपस्थिति में दिनांक 09.02.2025 को परिवादी श्री सुखासिंह व आरोपीगण प्रगटसिंह व जगदीश के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमौरी कार्ड में रिकॉर्ड है को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से कार्यालय के लेपटॉप में श्री लालचन्द कानि. 30 के द्वारा कनेक्ट कर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान एवं श्रीमती प्रदीप कौर महिला हैडकानि 323 को सुनाया गया। वार्ता पंजाबी भाषा में होने से पंजाबी भाषा की जानकार श्रीमती प्रदीप कौर की सहायता से श्री लाल चन्द कानि 30 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। उक्त वार्ता मे परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी जगदीश व तीसरी आवाज आरोपी प्रगटसिंह की होना पहचान की। फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 01.42 पीएम पर परिवादी श्री सुखासिंह से उसके मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी जगदीश के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मोबाईल का स्पीकर ऑन कर समय चाहने हेतु कॉल करवाया तो परिवादी ने कहा कि ससरीकाल सर जी, तो आरोपी जगदीश ने कहा कि ससरीकाल, फिर परिवादी ने कहा कि सर जी थोडा टाईम और लगेगा 15-20 मिनट, इस पर आरोपी जगदीश ने कहा कि चाहे एक घन्टा लगा दे पर लेकर आना, परिवादी ने कहा पैसे लेकर ही आउंगा सर जी तो आरोपी जगदीश ने कहा ठीक है, अतः उक्त वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रखे मेमौरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की जायेगी। समय 01.45 पीएम पर रूबरू गवाहान सर्वश्री- श्री दिनेश मीणा पुत्र श्री बाबूलाल मीणा उम्र 36 साल जाति मीणा निवासी सिंधी कॉलोनी लंगा गेट थाना कोतवाली जिला बून्दी हाल नर्सिंग ऑफिसर जेके लॉन कोटा मोबाईल नम्बर [redacted] व श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री रामेश्वर जाति मीणा उम्र 42 साल निवासी ए10 चित्रगुप्त कॉलोनी महावीर नगर कोटा हाल नर्सिंग ऑफिसर जेके लॉन कोटा मोबाईल नम्बर मोबाईल नम्बर [redacted] के समक्ष परिवादी श्री सुखासिंह पुत्र श्री सुरजीत सिह जाति मजहबी सिख उम्र 50 साल निवासी 6 बी धनूर थाना केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 के 7 नोट व 200-200 रूपये के 02 नोट तथा 100 रूपये का 01 नोट कुल 4,000 रूपये मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये। नोटो के नम्बर इस प्रकार है- क्र.न. नोट का प्रकार नोट क्रमांक 1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7NE322918 2. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1EK239534 3. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0AS039542 4. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7NE322919 5. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0BR587136 6. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7NE322920 7. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 9WK471231 8. एक नोट दो सौ रूपये का नम्बर 9KE957684 9. एक नोट दो सौ रूपये का नम्बर 0GG335082 10. एक नोट सौ रूपये का नम्बर 5AW627743 श्री सरोज महिला हैड कानि. 81 के द्वारा सरकारी वाहन ट्वेरा के डेशबोर्ड में रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर भली भांति इस

प्रकार लगवाया गया ताकि पाउडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। गवाह श्री कमलेश कुमार से परिवादी श्री सुखासिंह की जामा तलाशी लिवाई तो उसके पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नही पायी तथा परिवादी के पास पहने हुए कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटों को श्री सरोज म.हैडकानि 81 से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बायीं साईड की जेब में रखवाये गये। तत्पश्चात एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री सरोज म.हैडकानि 81 के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी/संदिग्ध व्यक्ति इस फिनोफ्थलीन पाउडर लगी रिश्वत राशि को अपने हाथों से प्राप्त करेगा अथवा छुयेगा तो उसके हाथों को इस प्रकार सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पाउडर लगे नोटों को रास्ते मे अनावश्यक रूप से हाथ लगावे, आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पाउडर लगे नोटों को अपनी पेन्ट की जेब से निकालकर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नं. [redacted] पर मिस कॉल कर ईशारा करे। इसके बाद गिलास के धोवन को बाहर फिंकवाया गया। नोटो पर पाउडर लगाने मे काम मे लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्रीमती सरोज महिला हैड कानि. के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखे व वार्ता को सुनने का प्रयास करे। सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी से वक्त रिश्वत लेनदेन होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करें। फर्द पेशकशी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रक्रिया में प्रयुक्त फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी श्रीमती सरोज महिला हैडकानि को देकर प्राईवेट वाहन से कार्यालय एसीबी एसयू कोटा पहुंचने के निर्देश देकर रवाना किया गया। समय 02.20 पीएम पर परिवादी श्री सुखासिंह व श्री राजेन्द्र कुमार कानि 279 को प्राईवेट मोटर साईकिल से छबडा थर्मल पावर प्लान्ट मोतीपुरा में पहुंचने हेतु रवाना किया तथा उक्त के पीछे-पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाप्ता श्री किशन लाल उनि, श्री लालचन्द कानि., भूपेन्द्र कानि. श्री करणसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्रीमती प्रदीप कौर महिला हैड कानि., दोनों स्वतंत्र गवाह श्री कमलेश कुमार व दिनेश मीणा मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व ट्रेप में काम आने वाली आवश्यक सामग्री मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री घनश्याम कानि. 609 के ट्रेप कार्यवाही हेतु छबडा थर्मल पावर प्लान्ट मोतीपुरा जिला बारां के लिये रवाना हुई। समय 02.30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी छबडा थर्मल पावर प्लान्ट मोतीपुरा के मेन गेट के बाहर थोडी दूरी पर आम रोड़ पर अलग-अलग जगह पर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुए। समय 03.20 पीएम पर परिवादी श्री सुखासिंह मोटर साईकिल पर लिफ्ट लेकर हांफता हुआ भाग कर मन पुलिस निरीक्षक के पास आया व बताया कि मैं व राजेन्द्र कुमार जी कानि. रवाना होकर प्रगटसिंह व जगदीश के ऑफिस के बाहर पहुंचे जहां राजेन्द्र जी थोडी दूरी पर खडे हो गये, मैं ऑफिस में गया जहां जगदीश बैठा हुआ था। मैने जगदीश से जाकर कहा कि मेरा लड़का कह रहा था कि चाचा जगदीश से मेरी बात कराना तो जगदीश ने कहा कि तू गुरूबक्श के साथ बात कर ले, इस पर मैंने कहा कि मेरे लड़के को बताया कि हर महिने ही ड्यूटी के पैसे लगते है बेटा, इस पर जगदीश ने कहा कि उसको आज पता चला क्या कि ड्यूटी लगाने के पैसे लगते है। फिर मैंने जगदीश से कहा कि अब भाई बनकर मेरी ड्यूटी लगा देना, इस पर जगदीश ने कहा कि तू जैसे करता है तेरे साथ तो वैसा ही करना चाहिऐ, मैं तो तेरे मुंह पर कह रहा हूं, पर छोड़ मैं तो बोलता नहीं, इस पर मैंने पुनः जगदीश से कहा नहीं नहीं मेरा ध्यान रखो भाई मैं गरीब आदमी हूं तो जगदीश ने कहा कि पहले तेरे साथ कौनसा गलत किया है ड्यूटी तो हमेशा ही लगती है। मैंने गुरूबक्श से बात करके तेरा 2400 में से 1400 रूपये के बजाय अब के 2000 और अब 4000 कर। इस पर मैंने 4000 रूपये की हां कर दी, मेरे पास गुरूबक्श का फोन आया था तो जगदीश ने कहा कि मैंने 4000 रूपये के लिए बोला था पर वह नहीं मान रहा। इस पर मैंने कहा कि भाई मेरी ड्यूटी का ध्यान रखना भाई बनकर तो जगदीश ने कहा कि पहले तू कौनसा घर रहा तो मैंने कहा आपके टाईम तो ड्यूटी लगती है सबसे ज्यादा मेरी। उसके बाद मैं जगदीश को देने ही वाला था कि उसको मेरे साथ गये श्री राजेन्द्र कुमार जी जो थोडी दूरी पर खडे थे की ओर ईशारा कर कहा कि वह कौन है तो मैने कहा कि मैं नहीं जानता। इस पर जगदीश ने मेरे से पैसे नहीं लिये व उसके ऑफिस में से निकलकर राजेन्द्र जी के पास आया तो मैं भी उसके साथ-साथ आ गया। जगदीश ने राजेन्द्र जी के पास आकर पूछा कि आप कौन हो, तो राजेन्द्र जी ने बहाना बनाते हुए कहा कि मैं तो महेश जी सैनी का मिलने वाला हूं। कोटा खनन विभाग में काम करता हूं। आज इधर घूमने आया था, महेश जी से मेरा परिचय होने से उनसे मिलने आ गया तथा राजेन्द्र जी ने मेरे से कहा कि आपका रॉलकाल हो रहा है आप जाओ। उसी दौरान प्रगटसिंह आ गया जिसने मेरी शर्ट की जेब पर हाथ लगाते हुए कहा कि यह तेरी जेब में क्या है तो मैंने हँसते हुए दूसरी तरफ मुंह कर डिजीटल वॉयस

रिकॉर्डर जेब से निकालकर पेन्ट की जेब में रख लिया व तुरन्त बैरिक में जाकर मेरा कीपेड मोबाईल शर्ट की जेब में रख वापस आया तब भी उसने पूछा की तेरी जेब में क्या है, तो मैंने कहा कि कुछ नहीं ये तो मेरा मोबाईल है इस पर प्रगटसिंह ने नाराज होकर कहा कि तू झूठ बोल रहा है तेरी जेब में पहले तो काले रंग की कोई चीज रखी थी जिसे बैरिक में जाकर उस चीज को तेरे बैग में रख कर आया है। इसके बाद उन दोनों ने कहा कि अभी तेरे को देखते है तू एसीबी को लेकर आया है। यह कहते हुए वह मेरे बैग को चैक करने बैरिक में चले गये तो मैं वहां से भाग कर आया हूं, यदि मैं भाग कर नहीं आता तो वे दोनों मेरे पास से आपके द्वारा सुपुर्द किया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को छीन सकते थे, अब भी वह लोग अन्य जाप्ता को लेकर मेरा पीछा कर मेरे साथ कोई भी घटना कारित कर सकते है। परिवादी के पीछे-पीछे राजेन्द्र कुमार कानि भी मन पुलिम निरीक्षक के पास आया व परिवादी द्वारा बताये कथनों की पुष्टि की। परिवादी द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चैक किया तो डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बन्द होना पाया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। गोपनीय स्थान पर पहुंचकर डीवीआर को चालू कर उसमें रिकॉर्ड लेन देन प्रयास वार्ता को सुना जायेगा। समय 03.30 पीएम चूंकि परिवादी द्वारा आरोपीगण प्रगटसिंह व जगदीश द्वारा पीछा कर घटना घटित करने की आशंका जाहिर की। अतः मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी सुखासिंह को हमराह लेकर मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान सरकारी वाहन टवेरा मय चालक के गोपनीय स्थान हेतु रवाना हुई। समय 03.45 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी मय गवाहान मय हमराही जाप्ता के सरकारी वाहन टवेरा मय चालक के रवाना होकर मोतीपुरा गांव मे बाहर कोटा रोड़ पर गोपनीय स्थान पर पहुंचे व मुकीम होकर मन पुलिस निरीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर श्रीमती प्रदीप कौर महिला हैडकानि 323 व परिवादी के समक्ष सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये तथ्य जगदीश ने कहा कि पहले तू कौनसा घर रहा तो मैंने कहा आपके टाईम तो ड्यूटी लगती है सबसे ज्यादा मेरी, तक ही वार्ता डीवीआर में रिकॉर्ड होना पाई गई। उसके बाद रिकॉर्डर बन्द हो गया। रिश्वत में दी जाने राशि 4000 रूपये परिवादी ने अपनी जेब से निकालकर पेश किये जिन्हे एक पीले रंग के लिफाफे में रखवाकर गवाह श्री कमलेश कुमार को सुपुर्द किए गये। दिनांक 10.02.2025 समय 04.00 पीएम पर परिवादी ने बताया कि जगदीश व प्रगटसिंह को एसीबी टीम के साथ लेकर आने का मेरे पर शक हो गया है उन्होंने मेरे घर पर भी फोन करके एसीबी टीम को लेकर आने के संबंध में फोन पर सूचित कर दिया है। वे लोग अब मेरे से रिश्वत नहीं लेंगे तथा मेरे साथ कोई भी घटना घटित कर सकते है। मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान सरकारी वाहन टवेरा मय चालक के गोपनीय स्थान से अग्रिम कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी बारां हेतु रवाना हुई। समय 06.45 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी सरकारी वाहन टेवरा मय चालक के रवाना होकर एसीबी चौकी बारां पहुंची व अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई। समय 07.00 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान दिनेश मीणा व कमलेश कुमार के समक्ष व परिवादी श्री सुखासिंह की उपस्थिति में समय 01.42 पीएम पर परिवादी श्री सुखासिंह व आरोपी जगदीश के मध्य हुई मोबाईल वार्ता जो मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमौरी कार्ड में रिकॉर्ड है को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से कार्यालय के लेपटॉप मे श्री लालचन्द कानि. 30 के द्वारा कनेक्ट कर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान एवं श्रीमती प्रदीप कौर महिला हैडकानि 323 को सुनाया गया। वार्ता पंजाबी भाषा में होने से पंजाबी भाषा की जानकार श्रीमती प्रदीप कौर की सहायता से श्री लालचन्द कानि. 30 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। उक्त वार्ता मे परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी जगदीश की होना पहचान की। फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.30 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान दिनेश मीणा व कमलेश कुमार के समक्ष व परिवादी श्री सुखासिंह की उपस्थिति में परिवादी श्री सुखासिंह व आरोपी जगदीश के मध्य हुई रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता जो मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमौरी कार्ड में रिकॉर्ड है को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से कार्यालय के लेपटॉप मे श्री लालचन्द कानि. 30 के द्वारा कनेक्ट कर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान एवं श्रीमती प्रदीप कौर महिला हैडकानि 323 को सुनाया गया। वार्ता पंजाबी भाषा में होने से पंजाबी भाषा की जानकार श्रीमती प्रदीप कौर की सहायता से श्री लालचन्द कानि. 30 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। उक्त वार्ता मे परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी जगदीश की होना पहचान की। फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 08.30 पीएम पर परिवादी श्री सुखा सिंह ने बताया कि आरोपीगण को मुझ पर एसीबी टीम को साथ लेकर ट्रेप करवाने का पूरा शक हो गया है। उन्होंने मेरे लड़के के मोबाईल पर भी कॉल करके एसीबी टीम को लेकर आने की सूचना कर दी है। अब वह लोग मेरे से रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करेंगे। अतः परिवादी को आवश्यक समझाईश कर कार्यालय से रूकसत किया गया। दिनांक समय 11.00 पीएम पर परिवादी श्री सुखासिंह पुत्र श्री सरजीतसिंह जाति मजहबी सिख उम्र 50 साल निवासी धनुर तहसील करणपुर जिला गंगानगर हाल बेल्ट नम्बर 391 बोर्डर होमगार्ड डी कंपनी फुसेवाला ने टाईपशुदा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आरोपीगण प्रगट सिंह व जगदीश को मुझ पर एसीबी टीम को साथ लेकर ट्रेप करवाने का पूरा शक हो गया है। उन्होंने मेरे लड़के के मोबाईल पर भी कॉल करके एसीबी टीम को लेकर आने की सूचना कर दी है। अब वह लोग मेरे से रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करेंगे। अतः मेरे द्वारा आपके समक्ष पेश किये गये राशि 4000 रूपये मुझे वापस लौटाने की

कृपा करें। समय 11.30 पीएम पर रूबरू गवाहान सर्वश्री- श्री दिनेश मीणा पुत्र श्री बाबुलाल मीणा उम्र 36 साल जाति मीणा निवासी सिंधी कॉलोनी लंगा गेट थाना कोतवाली जिला बून्दी हाल नर्सिंग ऑफिसर जेके लॉन कोटा मोबाईल नम्बर [redacted] व श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री रामेश्वर जाति मीणा उम्र 42 साल निवासी ए10 चित्रगुप्त कॉलोनी महावीर नगर कोटा हाल नर्सिंग ऑफिसर जेके लॉन कोटा मोबाईल नम्बर मोबाईल नम्बर 9785013646 के समक्ष परिवादी श्री सुखासिंह पुत्र श्री सुरजीत सिह जाति मजबी सिंह उम्र 50 साल निवासी 6बी धनूर थाना केसरीसिंहपुर जिला गंगानगर द्वारा मन पुलिस निरीक्षक को जरिये पेशकशी पेश किये गये भारतीय मुद्रा के 500-500 के 7 नोट व 200-200 रूपये के 02 नोट तथा 100 रूपये का 01 नोट कुल 4,000 रूपये को परिवादी द्वारा ट्रेप कार्यवाही के प्रयास के बाद वापस लौटाने पर लिफाफे में रखवाकर गवाह श्री कमलेश कुमार के पास सुरक्षित रखवाये गये थे को गवाह से प्राप्त कर फिनोफ्थलीन पाउडर साफ करवाकर परिवादी को नियमानुसार सुपुर्द किये गये। फर्द सुपुर्दगी पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 11.02.2025 समय 01.00 एएम पर परिवादी व दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी व आरोपीगण जगदीश व प्रगटसिंह के मध्य दिनांक 09.02.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 10.02.2025 को परिवादी व आरोपी जगदीश के मध्य हुई मोबाईल वार्ता एवं दिनांक 10.02.2025 को परिवादी व आरोपी जगदीश के मध्य हुई रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता की हेशवैल्यू श्री लालचन्द कानि 30 से जरिये लेपटॉप में उपस्थित सॉफ्टवेयर एसएचए 1 से निकलवाई जाकर हेशवैल्यू की प्रिन्ट की प्रति निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 11.02.2025 समय 01.30 एएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कमलेश कुमार व दिनेश मीणा के समक्ष परिवादी व आरोपीगण जगदीश व प्रगटसिंह के मध्य दिनांक 09.02.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 10.02.2025 को परिवादी व आरोपी जगदीश के मध्य हुई मोबाईल वार्ता एवं दिनांक 10.02.2025 को परिवादी व आरोपी जगदीश के मध्य हुई रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता जिसको परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रखे मेमौरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था। उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप से श्री लालचन्द कानि 30 के द्वारा कनेक्ट करवाकर उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर एवं मेमेारी कार्ड में रिकॉर्ड हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग को जरिये लेपटॉप 04 पेन ड्राईव में पेस्ट किया गया, एक पेन ड्राईव वजह सबूत आरोपी की आवाज का नमूना परीक्षण हेतु माननीय न्यायालय के लिए, दो पेन ड्राईव आरोपीगण के लिए अलग-अलग कपड़े की थैलियों में रखी जाकर सील मोहर की गई। मूल मेमौरी कार्ड Sandisk 32 GB को माननीय न्यायालय के लिए वजह सबूत जप्त कर कपड़े की थैली में रखी जाकर सील मोहर किया गया एवं कपडे की थैली पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये अनशील्ड रखा गया। फर्द प्रतिलिपिकरण जब्ती पेन ड्राईव व मेमौरी कार्ड पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 05.10 एएम पर परिवादी श्री सुखासिंह को उसके साथी श्री महेश सैनी पुत्र श्री किशन देव जाति सैनी उम्र 52 साल निवासी श्रीगंगानगर हाल कानि. 227 बोर्डर होमगार्ड छबडा थर्मल पावर प्लान्ट मोतीपुरा जिला बारां के सिपुर्द करने हेतु फर्द सुपुर्दगी मुर्तिब की जाकर श्री लाल चन्द कानि 30 व श्री राजेन्द्र कुमार कानि. 279 को संभलाया जाकर हिदायत की गई कि परिवादी को श्री महेश सैनी को सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर पेश करें। दिनांक 11.02.2025 समय 05.10 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय श्री किशनलाल उनि, श्रीमती प्रदीप कौर महिला हैडकानि., श्री करण सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री भूपेन्द्र सिंह कानि 292 मय जप्त शील्डशुदा तीन पेन ड्राईव के पैकिट, एक मूल मेमौरी कार्ड शील्डशुदा का पैकिट, एक अनशील्ड पेन ड्राईव, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स के मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री घनश्याम कानि 609 के एसीबी एसयू कोटा हेतु रवाना हुई। श्री लालचन्द कानि.30 व श्री राजेन्द्र कुमार कानि. 297 को परिवादी की सुरक्षा एवं सुपुर्दगी पर प्राप्ति रसीद हेतु एसीबी चौकी बारा छोडा गया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किए जायेंगे। समय 8.00 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय श्री किशनलाल उनि, श्रीमती प्रदीप कौर महिला हैडकानि., श्री करण सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री भूपेन्द्र सिंह कानि 292 मय जप्त शील्डशुदा तीन पेन ड्राईव के पैकिट, एक मूल मेमौरी कार्ड शील्डशुदा का पैकिट, एक अनशील्ड पेन ड्राईव, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स के मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री घनश्याम कानि 609 के कार्यालय एसीबी एसयू कोटा उपस्थित आए। फर्द डबिगं अनुसार शील्डशुदा जप्तशुदा मूल मैमोरी कार्ड व पेन ड्राईव जमा मालखाना करने हेतू मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किया गया । दिनाकं 11.02.2025 समय 8.30 एएम पर कार्यालय पर उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान व श्रीमती प्रदीप कौर महिला हैड कानि.323 को रुखसत किया गया। अब तक की कार्यवाही से आरोपीगण प्रगटसिंह सिपाही व जगदीश सिपाही (ड्राईवर) बोर्डर होम गार्ड हाल केम्प छबडा थर्मल पावर प्लान्ट मोतीपुरा जिला बारां द्वारा आपस में मिलीभगत कर परिवादी श्री सुखासिंह की ड्यूटी छबडा थर्मल पावर प्लान्ट मोतीपुरा मे लगातार रखवाने की एवज में कमाण्डेन्ट महेन्द्रसिंह के नाम से दिनांक 09.02.2025 को दौराने सत्यापन 5000 रूपये आरोपी प्रगटसिंह की उपस्थिति में आरोपी जगदीश द्वारा रिश्वत की मांग करना व यह कहना कि जितना लेट कर रहे हो हम नहीं छोडे़गें, सारे लेंगे, फिर दोनों के द्वारा ये कहना कि यह टाईम पर पैसे नहीं देता। दिनांक 10.02.2025 को मोबाईल वार्ता के दौरान आरोपी जगदीश द्वारा यह कहना कि चाहे एक घन्टा लगा दे पर लेकर आना एवं दौराने लेन देन प्रयास वार्ता आरोपी जगदीश द्वारा छबडा थर्मल पावर प्लान्ट मोतीपुरा मे लगातार ड्यूटी रखवाने की एवज में 4000 रूपये रिश्वत की मांग

करना व परिवादी के साथ निगरानी हेतु गये कानि. पर नजर पड़ने से जगदीश द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण नहीं कर दोनों आरोपी जगदीश द्वारा कानि. के पास आकर उससे पूछताछ करना, उसी दौरान आरोपी प्रगटसिंह द्वारा परिवादी की जेब की तलाशी लेने का प्रयास करना, दोनों के द्वारा परिवादी को देख लेने की धमकी देते हुए एसीबी को साथ लेकर आने हेतु कहना व परिवादी के परिवारजनों को एसीबी टीम लेकर आने हेतु कहना अर्थात आरोपीगण को परिवादी पर एसीबी टीम के साथ आने का शक हो जाने से रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करना इत्यादि तथ्यों से आरोपीगण श्री प्रगटसिंह पुत्र श्री अजमेर सिहं निवासी वी.पी.ओ.वार्ड न.8, 01 डी छोटी, साधूवाली,श्रीगंगानगर हाल स्वंय सेवक, सदस्य सख्यां 41 चौथी बटालियन श्री गंगानगर हाल केम्प छबडा थर्मल पावर प्लान्ट मोतीपुरा जिला बारां व श्री जगदीश सिहं पुत्र श्री गुरबच्चन सिहं निवासी वी.पी.ओ.हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर हाल स्वंय सेवक, सदस्य सख्यां 354 (ड्राईवर) चौथी बटालियन श्री गंगानगर हाल केम्प छबडा थर्मल पावर प्लान्ट मोतीपुरा जिला बारां का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण श्री प्रगटसिंह व जगदीश सिहं बोर्डर होम गार्ड चौथी बटालियन श्री गंगानगर हाल केम्प छबडा थर्मल पावर प्लान्ट मोतीपुरा जिला बारां का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) में प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है। (अनिता वर्मा) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट कोटा..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1. श्री प्रगटसिंह पुत्र श्री अजमेर सिहं निवासी वी.पी. ओ.वार्ड न.8, 01 डी छोटी, साधूवाली श्रीगंगानगर हाल स्वंय सेवक, सदस्य सख्यां 41 चौथी बटालियन श्रीगंगानगर हाल केम्प छबडा थर्मल पावर प्लान्ट मोतीपुरा जिला बारां एवं 2. श्री जगदीश सिहं पुत्र श्री गुरबच्चन सिहं निवासी वी.पी.ओ. हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल स्वंय सेवक सदस्य सख्यां 354 चौथी बटालियन श्रीगंगानगर हाल केम्प छबडा थर्मल पावर प्लान्ट मोतीपुरा जिला बारां के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती चन्द्र कंवर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ईंटे, कोटा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 332 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 557-60 दिनांक 22-04-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2- गण समादेष्टा सीमा प्रशिक्षण केन्द्र, श्रीगंगानगर 4-उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, कोटा । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Chandra Kanwar Tanwar **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 22/04/2025 17:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	03/04/1988				
2	Male	05/06/1977				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)